



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH
MEERUT

शपथ - पत्र

FY 965382

इस प्रवीण कुमार बंसल अध्यक्ष एवं अध्यना बंसल सचिव राई शिला प्रसार सेवा समिति, म०न० 102 आई नगर ककरछोड़ा गिला मेरठ, उत्तर प्रदेश शपथपूर्वक निम्नान्त बयान करते हैं -

1. यह कि हमारी सोसाइटी / ट्रस्ट द्वारा प्रवीण कुमार बंसल अध्यक्ष अध्यना बंसल सचिव राई शिला प्रसार सेवा समिति, म०न० 102 आई नगर ककरछोड़ा मेरठ, उत्तर प्रदेश नाम डिप्लोमा स्तरीय कार्मसी शिक्षण संस्थान की स्थापना सत्र 2023-24 से किया जाना प्रस्तावित है।
2. यह कि हमारी सोसाइटी / ट्रस्ट के नाम प्रवीण कुमार बंसल अध्यक्ष एवं अध्यना बंसल सचिव राई शिला प्रसार सेवा समिति, म०न० 102 आई नगर ककरछोड़ा मेरठ (उपग्र.) में गाँठा संघर्षा 37 रुक्का 1.0870 हेक्टेयर कुल रुक्का 1.0870 हेक्टेयर भूमि है।
3. यह है कि उपरोक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई भी वाद किसी भी न्यायालय में नहीं चल रहा है, और भूमि विवाद रहित है।

ATTESTED

SHAKIR HUSAIN

NOTARY- 4410

GOVT OF INDIA कि, उपरोक्त भूमि पर ही प्रश्नागत डिप्लोमा स्तरीय कार्मसी शिक्षण संस्थान के संचालन हेतु भवनों का निर्माण अनुमोदित नहीं किया गया है।

6. यह कि, निरीक्षण समिति के समक्ष उपरोक्त पते पर सोसाइटी / ट्रस्ट के नाम भूमि एवं उस पर निर्मित एवं निर्धारित भवनों को ही निरीक्षण समिति के समक्ष निरीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया है।


यह कि, इस भूमि एवं इस पर निर्मित भवनों पर केवल उपरोक्त नाम की डिप्लोमा स्तरीय कार्मसी शिक्षण संस्थान का ही संचालन किया जावेगा।



8. यह कि, इस सम्बन्ध में कार्यसी कौमिल और इडिया, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद से सम्बद्ध पाठ्यक्रमों एवं प्रयोगशाला के अनुसार ही पाठ्यक्रमों में प्रतिक्रिया प्रदान किया जायेगा।
9. यह कि, उपरोक्त भूमि पर इस पर निर्मित भवनों ने प्राविधिक शिक्षा परिषद, उम्प्र० लखनऊ से सम्बद्ध सम्बन्ध एवं पाठ्यक्रमों के अलिंगिकत किसी अन्य परिषद/शिक्षाविधालय द्वारा अनुमोदित/सम्बद्ध कोई अन्य संलग्न/पिण्डालय/महाविधालय/आईटीआई आदि का संचालन न हो पूर्ण में कभी किया गया है, और न ही भविष्य में कभी किया जायेगा।
10. यह कि, सम्बन्ध के संचालन हेतु आवश्यक व्यापक रूप, प्रयोगशालाओं एवं कार्यशालाओं आदि को कार्यसी कौमिल और इडिया, नई दिल्ली एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद के मानकों के अनुसार ही सुसमिलित किया जायेगा।
11. यह कि सम्बन्ध के संचालन हेतु आवश्यक वीसिक एवं अर्टिलियर स्टाफ की दैनांशी चौकाई/ दृष्ट द्वारा सत्र प्रारंभ के पूर्ण कर लिया जायेगा।
12. यह कि शासन/परिषद द्वारा निर्गत निर्देशों/आदेशों का भलीभांति पालन करेंगा। यदि मेरे सम्बन्ध में किसी भी समय स्थालीय निरीक्षण में मानकानुसार कोई भी कमी पायी जाती है। तो परिषद की निरीक्षण एवं सम्बद्धता समिति द्वारा लिया गया निर्गत अतिम होगा। एवं युद्ध मान्य होगा। इस हेतु मेरे द्वारा कोई विधिक कार्रवाई नहीं हो सकती।
13. हम घोषणा करते हैं कि हमारे द्वारा ही गयी उपरोक्त रूचना मेरी निजी जानकारी में पूर्ण रूप से साप्त है। यदि दीर्घगांठी जानकारी एवं अभिलेख/दस्तावेज फलों, कूटरायित जघण बुटिपूर्ण पाये जाते हैं तो मेरे विरुद्ध परिषद द्वारा नियमानुसार कानून संगत कार्रवाई की जा सकेगी। ऐसी की गयी विधिक कार्रवाई हेतु मैं स्वयं उत्तरदायी होऊँगा।

Aepana

हृत्क्रिया



Go अध्यक्ष

ATTESTED

Shakir Husain
NOTARY- 4410
GOVT. OF INDIA
MEEKUT